फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामघणी पत्नि धन्नलाल मीणा निवासी टीटोडी

बनाम

चकोली देवी पत्नि मीणा धन्ना लाल मीणा निवासी टीटोडी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 163/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
09-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम टीटोडी प.ह. टीटोडी आराजी सं. 346, 68, 340, 365, 478 कुल किता 05 रकवा 2.2724 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम टीटोडी प.ह. टीटोडी आराजी सं. 346, 68, 340, 365, 478 कुल किता 05 रकबा 2.2724 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक वावाड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें।** पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा) उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मांक/रीडर/2024/163/2024 दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प्र.सं. 163 / 2024 अनवान रामघणी पत्नि धन्नालाल मीणा निवासी टीटोडी बनाम चकोली देवी पत्नि मीणा धन्ना लाल मीणा निवासी टीटोडी, खाना पिता देवी भील निवासी टीटोडी, दुर्गा पिता छगना रेगर निवासी टिटोडी, हेमराज पिता रामकृष्ण गुर्जर निवासी टिटोडी, कल्ली देवी पत्नी सुवह मीणा निवासी टिटोडी, राजू पिता रतन मीणा निवासी टीटोडी, कालू पिता नंद भील निवासी पारोली, दुर्गा लाल पिता भेरु बेरवा निवासी टीटोडी, खेमराज पिता नंदा भील निवासी पारोली, चकोली पुत्री मांगीलाल मीणा निवासी बोराणी, लादू पिता धन्ना रेगर निवासी टिटोडी, कैलाश पिता धना रहेगा निवासी टिटोडी, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बावत

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम टीटोडी प.ह. टीटोडी आराजी सं. 346, 68, 340, 365, 478 कुल किता 05 रकबा 2.2724 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बावडी को नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा